संख्या– 49 /XIX/उपभोक्ता संरक्षण/2005

प्रेषक,

पी0सी0शर्मा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष,
राज्य आयोग उपभोक्ता संरक्षण,
उत्तरांचल,देहरादून।

खाद्य एंव नागरिक आपूर्ति अनुभाग — देहरादून दिनांक: 01 फरवरी,2005

विषयः– अध्यक्ष, राज्य आयोग के लिए आवासीय किराया निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–124/रा0आ0उ0सं0/2004,दिनांक 28–8–2004 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य आयोग उपभोक्ता संरक्षण में अध्यक्ष के पद पर नियुक्त न्यायाधीश को शासकीय आवास उपलब्ध न होने अथवा उनके द्वारा सरकारी आवास का उपयोग न किये जाने की स्थिति में आवास हेतु किराये पर लिये जाने वाले भवन के लिए रू. 10,000.00(रू. दस हजार मात्र) प्रतिमाह की दर से आवास भत्ता अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि अध्यक्ष राज्य आयोग उपभोक्ता संरक्षण ,देहरादून को आवासीय भवन के किराये की स्वीकृति हेतु पूर्व शासनादेश संख्या–65/खाद्य/राज्य आयोग/2002 दिनांक 01 अगस्त,2002 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

3. इस सबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004–05 के आय व्ययक की अनुदान संख्या–25 लेखाशीर्षक 3456–सिविल पूर्ति–001 निदेशन तथा प्रशासन आयोजनेत्तर–00–00–04 उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापित निदेशालय के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाई से किया जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–2073/वित्त अनुभाग–3/2005 दिनांक 17जनवरी,2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(पी0सी0शर्मा)
सचिव।

संख्या– 49 (1)/XIX/उपभोक्ता संरक्षण/2005, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार,लेखा एंव हकदारी,उत्तरांचल,देहरादून।
2. आयुक्त,खाद्य एंव नागरिक आपूर्ति विभाग,उत्तरांचल,देहरादून।
3. वित्त नियंत्रक,खाद्य एंव नागरिक आपूर्ति विभाग,उत्तरांचल,देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी,देहरादून।
5. समन्वयक एन0आई0सी0उत्तरांचल,देहरादून।
6. वित्त अनुभाग–3 उत्तरांचल शासन।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पी0सी0शर्मा)
सचिव।

Rajeev/mis.com